ग्राम पंचायत समलेट, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन,

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत समलेट विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान ग्राम पचांयत समलेट में निम्नलिखित प्रधान व सचिव रहे है।

प्रधानः-

क्रंम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री परवीन सिंह	01/04/2015 से 22/01/16
2.	श्रीमति पिंकी देवी	23/01/16 से 31/03/2018

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राम	01/04/2015 से 31/03/2018 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत समलेटजिला काँगड़ा के अवधि04/15 से 03/18के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओंका सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्तसार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातोंसे मिलान नकरने के कारण अन्तर	1.48
2	7	पंचायत राजस्व की बकाया राशिकी वसूली हेतु शेष	0.09
3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	5.74
4	10	औपचारिकताओं को पूर्णकिये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	4.87

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत समलेट, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07-05-18 से 14-05-18 तक ग्राम पंचायत समलेट के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिये क्रमश: 05/2015, 06/2016, 01/2018 व 11/2015, 02/2017, 03/2018 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत समलेट विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-119 दिनांक-09-05-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत समलेट से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत समलेट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/15 से 03/18 के स्वः स्त्रोत व अनुदान लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी जिसका विवरण **परिशिष्ट 1 व 2** में भी दिया गया है:–

(i) स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	96212	292878	389090	287307	101783
2016-17	101783	261986	363769	330277	33492
2017-18	33492	446986	480478	342696	137782

(ii) अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	325746	3129408	3455154	2806742	648412
2016-17	648412	2981407	3629819	2599128	1030691
2017-18	1030691	2913669	3944360	3369476	574884

कुल योग (i + ii) **= ₹712666**

दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत समलेट द्वारा बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रम सख्यां	अनुदान का नाम	खाता सख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1.	सभा निधि	20028012813	KCC फतेहपुर	137805
2.	13वां/14वां वितयोग	50051620499	K.C.C रैहन	706047
3.	P.S.	50051618991	K.C.C रैहन	809
4.	Z.P. वितयोग	50051620783	K.C.C रैहन	444
5.	V.K.V.N.Y	50051618708	K.C.C रैहन	887
6.	RAY/IAY	50051620716	K.C.C रैहन	29
7.	M.P. CAD	50052789251	K.C.C रैहन	1159
8.	SBM/TSC	50059767478	K.C.C रैहन	13109
9.	मनरेगा	20051007665	K.C.C रैहन	00
	हस्तगत राशि			671
	कुल योग			**860960**

वित्तीय स्थिति व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तरः– 712666–860960=148294

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.48 लाख का भारी अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत समलेट द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-18 को रोकड़ बही तथा बैंक

खातों के अन्तशेष में ₹**148294** का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है ।

अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे तथा इस अन्तर का अति शीघ्र मिलान किया जाये व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में भी नियमानुसार हर माह रोकड़ बही के अन्तशेषों का बैंक खातों के अन्तशेष से मिलान किया जाए ।

6 रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव न करना:–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत समलेट में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व (गृहकर) ₹0.09 लाख की वसूली शेष:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत समलेट की गृहकर से सम्बंधित ₹8765 की राशि दिनांक 31-03-18 तक वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1.	2015-16	2905	395	30/-	11850	14755	10945	3810
2.	2016-17	3810	399	30/-	11970	15780	11125	4655
3.	2017-18	4655	471	30/-	14130	18785	10020	8765

अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनीसुनिश्चित की जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नही किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

9 अनुदान की राशि ₹5.74 लाख का अवरोधन

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–18 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹574884 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.87 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹487100 लाख के स्टाक का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टाक/स्टोर का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था। जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व

रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
2 जल प्रभार रजिस्टर
3 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
4 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
5 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
6 डाक टिकट रजिस्टर
7 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि
8 वर्गीकृत सार

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है। जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमिततायें:-

(क) ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमनुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत बैठक फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से समन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने से सबंधित अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अत: इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहींकी गई है ।

15 **निष्कर्ष:-** लेखों में बहुत सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)214/2018 खण्ड–1–5983–5986 दिनांक–11.09.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत समलेट, विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881